आई. एस. तिवाना, जे. के समक्ष

इंदु पाल कौर,– याचिकाकर्ता

बनाम

चंडीगढ़ का संघ शासित क्षेत्र और अन्य, –प्रतिवादी।

सिविल रिट याचिका संख्या 3857 /1982

21 सितंबर, 1982।

भारतीय संविधान, 1950–अनुच्छेद 14–चंडीगढ़ के संघ शासित क्षेत्र के वास्तविक निवासियों के लिए भारतीय मेडिकल कॉलेज में आरक्षित सीटें–प्रशासन द्वारा प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को नामित करने के लिए आवेदनों पर विचार–भारत में कहीं भी प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले या किसी भी प्रवेश परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवार, सिवाय उनके जो अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेते हैं, अयोग्य घोषित–ऐसी अयोग्यता–क्या अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है–डोमिसाइल के आधार पर प्रवेश की मांग करने वाले उम्मीदवारों और अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता में भाग लेने वाले उम्मीदवारों का वर्गीकरण–क्या संवैधानिक रूप से मान्य है।

निर्णय यह हुआ है कि चंडीगढ़ के संघ शासित क्षेत्र के निवासियों के बच्चों और आश्रितों को, जिन्होंने भारत में कहीं भी एम.बी.बी.एस. और बी.डी.एस. पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश या किसी भी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन किया है, सिवाय अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता के आधार पर, आवेदन करने के लिए अयोग्य घोषित करने की शर्त को इस दृष्टिकोण से पेश किया गया है ताकि चंडीगढ़ के संघ शासित क्षेत्र के वास्तविक और वैध निवासियों/डोमिसाइल धारकों को चंडीगढ़ के लिए आरक्षित या निर्धारित सीटों का लाभ उठाने का अवसर मिल सके। वे चंडीगढ़ के निवासी या डोमिसाइल धारक जो खुद को किसी अन्य राज्य के डोमिसाइल के रूप में मानते

हैं, जिसमें पंजाब राज्य भी शामिल है, और उस राज्य के किसी भी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश का अवसर प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें फिर से चंडीगढ़ के संघ शासित क्षेत्र के वास्तविक या वैध निवासियों/डोमिसाइल धारकों के साथ प्रतिस्पर्धा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इन शर्तों को तय करने का एकमात्र उद्देश्य उन वास्तविक और वैध निवासियों/डोमिसाइल धारकों को चिकित्सा शिक्षा की सुविधा प्रदान करना है जो चंडीगढ़ के संघ शासित क्षेत्र के हैं और जो इस शिक्षा को प्राप्त करने के इच्छुक हैं। अनुच्छेद 14 उचित वर्गीकरण को नहीं रोकता है। स्वीकार्य वर्गीकरण के परीक्षण को पास करने के लिए दो शर्तें पूरी की जानी चाहिए, (i) वर्गीकरण बुद्धिमान अंतर पर आधारित होना चाहिए जो समूह में एकत्रित व्यक्तियों या चीजों को समूह से बाहर रखे गए अन्य से अलग करता है, और (ii) अंतर का उद्देश्य से तार्किक संबंध होना चाहिए जिसे प्राप्त किया जाना है। उपरोक्त अयोग्यता का निहितार्थ यह है कि जिन व्यक्तियों ने खुद को किसी अन्य राज्य का डोमिसाइल माना है, उन्हें चंडीगढ़ के संघ शासित क्षेत्र के निवासियों/डोमिसाइल वालों के पक्ष में प्रदान की गई सीटों के आरक्षण की सुविधा का लाभ उठाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। वे व्यक्ति जिन्होंने किसी विशेष राज्य के डोमिसाइल होने के आधार पर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने का मौका लिया है, एक स्पष्ट परिभाषित श्रेणी हैं और उन्हें उन व्यक्तियों के साथ समान स्तर पर नहीं रखा जा सकता जिन्होंने या तो अखिल भारतीय स्तर पर (किसी विशेष राज्य के डोमिसाइल होने का लाभ उठाए बिना) ऐसे प्रवेश के लिए प्रतिस्पर्धा की है या चंडीगढ़ के संघ शासित क्षेत्र के वास्तविक और वैध निवासियों/डोमिसाइल वालों के रूप में ऐसे प्रवेश के लिए नामित होने पर विचार करना चाहते हैं। उपरोक्त पात्रता की शर्त से कोई भी अनुचित वर्गीकरण नहीं होता है और इस प्रकार यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला नहीं हो सकता है।

(पैरा 3)

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत दायर याचिका, जिसमें प्रार्थना की गई है कि इस माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि:

(i) मामले का रिकॉर्ड मंगवाएं और उसका अवलोकन करने के बाद;

(ii) सर्टियोरारी का आदेश जारी करके चंडीगढ़ डोमिसाइल के लिए आरक्षित सीटों के लिए नामांकन पर विचार के लिए प्रवेश परीक्षा (पी.एम.टी.) के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य बनाने की आपत्तिजनक शर्त को रद्द करें;

(iii) मैंडेमस का आदेश जारी करके प्रतिवादियों को याचिकाकर्ता के मामले को चंडीगढ़ डोमिसाइल के लिए आरक्षित सीटों के खिलाफ नामांकन के लिए विचार करने का निर्देश दें;

(iv) किसी भी अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जो इस माननीय न्यायालय को मामले की परिस्थितियों के अनुसार उचित लगे;

(v) रिट याचिका की प्रतीक्षा के दौरान आरक्षित सीटों के खिलाफ उम्मीदवारों के नामांकन पर स्थगन आदेश जारी करें;

(vi) इस मामले की तत्कालता के मद्देनजर इस चरण में याचिकाकर्ता को अग्रिम सूचनाएं जारी करने से छूट प्रदान करें;

(vii) परिशिष्टों की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने से छूट प्रदान करें; और

(viii) रिट याचिका की लागत का आदेश दें।

विनोद शर्मा, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के लिए।

एम. आर. अग्निहोत्री, अधिवक्ता, प्रतिवादियों के लिए।

निर्णय

आई. एस. तिवाना, जे. (मौखिक)।

1. याचिकाकर्ता ने देश के विभिन्न मेडिकल कॉलेजों में चंडीगढ़ के संघ शासित क्षेत्र के लिए आरक्षित सीटों में से एक के लिए नामांकन पर विचार न करने के प्रतिवादी-प्राधिकरणों के कार्य को चुनौती दी है। मामले का संक्षिप्त पृष्ठभूमि इस प्रकार है:

2. याचिकाकर्ता के पिता चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में कर्मचारी हैं और वह चंडीगढ़ में जन्मी और शिक्षित हुई हैं। उसने अप्रैल, 1982 में पंजाब विश्वविद्यालय की प्री-मेडिकल परीक्षा पास की। प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा जारी एक विज्ञापन के अनुसार, जिसमें योग्य उम्मीदवारों से आरक्षित सीटों में से एक के लिए नामांकन पर विचार के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे, याचिकाकर्ता ने अपना आवेदन प्रस्तुत किया लेकिन जांच पर उसे ऐसे विचार के लिए अयोग्य माना गया है। यह विज्ञापन अनुबंध P. 7 की निम्नलिखित शर्त के कारण किया गया बताया गया है।

> *"चंडीगढ़ के संघ शासित क्षेत्र के निवासियों के बच्चे और आश्रित जिन्होंने भारत में कहीं भी एम.बी.बी.एस. और बी.डी.एस. पाठ्यक्रमों में 'प्रवेश' या किसी भी प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन किया है, सिवाय अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर, वे आवेदन करने के लिए अयोग्य होंगे।"*

विज्ञापन की यह शर्त भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाली बताई जा रही है, इस आधार पर कि यह किसी भी तर्कसंगत आधार पर नहीं है और जिन उम्मीदवारों ने डोमिसाइल प्रमाणपत्र के आधार पर भारत में कहीं भी एम.बी.बी.एस./बी.डी.एस. पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा दी है, उन्हें उन उम्मीदवारों से भिन्न या भेदभावपूर्ण नहीं माना जा सकता है जिन्होंने ऐसी परीक्षा अखिल भारतीय प्रतियोगिता के आधार पर दी है। यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि याचिकाकर्ता ने विज्ञापन अनुबंध P. 7 के जवाब में प्रतिवादी-प्राधिकरणों के पास आवेदन करने से पहले ही पंजाब राज्य द्वारा आयोजित प्री-मेडिकल प्रवेश परीक्षा (पी.एम.टी.) में आवेदन किया और भाग लिया था। यह परीक्षा पंजाब के डोमिसाइल वाले सभी योग्य उम्मीदवारों के लिए खुली है। पंजाब के 'डोमिसाइल' का निर्णय करने के मापदंड 12 मार्च, 1982

को पंजाब सरकार द्वारा जारी निर्देशों (अनुबंध P.5) में प्रदान किए गए हैं। इन निर्देशों में यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि किन व्यक्तियों को इस प्रमाणपत्र के लिए योग्य माना जाएगा। एक श्रेणी है "भारत सरकार के कर्मचारी के बच्चे/वार्ड जो चंडीगढ़ या पंजाब में पंजाब सरकार के मामलों के संबंध में तैनात हैं।" वास्तव में, याचिकाकर्ता ने ऐसा ही एक प्रमाणपत्र (अनुबंध P.6) 1 जून, 1982 को उच्च न्यायालय से प्राप्त किया था। इस प्रमाणपत्र के आधार पर, उसने पंजाब सरकार द्वारा आयोजित पी.एम.टी. परीक्षा में प्रतिस्पर्धा की, लेकिन जैसा कि पहले ही संकेत दिया गया है, वह असफल रही। इन निर्देशों (अनुबंध P. 5) की एक और महत्वपूर्ण शर्त यह है कि इसी अनुसार प्रमाणपत्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति को शपथ पत्र देना होता है कि उसने किसी अन्य राज्य में "डोमिसाइल" का लाभ नहीं उठाया है। याचिकाकर्ता ने प्रमाणपत्र (अनुबंध P.6) का लाभ उठाया होने के कारण, यह माना जाता है कि उसने पी.एम.टी. परीक्षा देने के समय ऐसा शपथ पत्र प्रस्तुत किया होगा।

3. अब श्री अग्निहोत्री, प्रतिवादी-प्राधिकरणों के लिए विद्वान वकील, बताते हैं कि अनुबंध P. 5 की उपरोक्त आपत्तिजनक शर्त को विज्ञापन में इस दृष्टिकोण से शामिल किया गया है ताकि चंडीगढ़ के संघ शासित क्षेत्र के वास्तविक या वैध निवासियों/डोमिसाइल धारकों को चंडीगढ़ के लिए आरक्षित या निर्धारित सीटों का लाभ उठाने का अवसर मिल सके। विद्वान वकील के अनुसार, चंडीगढ़ के निवासी या डोमिसाइल धारक जो खुद को किसी अन्य राज्य के डोमिसाइल के रूप में मानते हैं, जिसमें पंजाब राज्य भी शामिल है, और उस राज्य के किसी भी मेडिकल कॉलेज में प्रवेश का अवसर प्राप्त कर चुके हैं, उन्हें फिर से चंडीगढ़ के संघ शासित क्षेत्र के वास्तविक या वैध निवासियों/डोमिसाइल धारकों के साथ प्रतिस्पर्धा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। विद्वान वकील का यह तर्क, मेरे विचार में, बिना किसी युक्तियुक्त आधार के नहीं है, जैसा कि याचिकाकर्ता के वकील द्वारा दावा किया जा रहा है। विज्ञापन अनुबंध P. 7 में निर्धारित शर्तों का एकमात्र उद्देश्य उन वास्तविक और वैध निवासियों/डोमिसाइल धारकों को चिकित्सा शिक्षा

की सुविधा प्रदान करना है जो चंडीगढ़ के संघ शासित क्षेत्र के हैं और जो इस शिक्षा को प्राप्त करने के इच्छुक हैं। अनुच्छेद 14 उचित वर्गीकरण को नहीं रोकता है। स्वीकार्य वर्गीकरण के परीक्षण को पास करने के लिए दो शर्तें पूरी की जानी चाहिए, (i) वर्गीकरण बुद्धिमान अंतर पर आधारित होना चाहिए जो समूह में एकत्रित व्यक्तियों या चीजों को समूह से बाहर रखे गए अन्य से अलग करता है, और (ii) अंतर का उद्देश्य से तार्किक संबंध होना चाहिए जिसे प्राप्त किया जाना है। विज्ञापन अनुबंध P. 7 की आपत्तिजनक शर्त का निहितार्थ यह है कि जिन व्यक्तियों ने खुद को किसी अन्य राज्य का डोमिसाइल माना है, उन्हें चंडीगढ़ के संघ शासित क्षेत्र के निवासियों/डोमिसाइल धारकों के पक्ष में प्रदान की गई सीटों के आरक्षण की सुविधा का लाभ उठाने का अधिकार नहीं होना चाहिए। वे व्यक्ति जिन्होंने किसी विशेष राज्य के डोमिसाइल होने के आधार पर मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पाने का मौका लिया है, एक स्पष्ट परिभाषित श्रेणी हैं और उन्हें उन व्यक्तियों के साथ समान स्तर पर नहीं रखा जा सकता जिन्होंने या तो अखिल भारतीय स्तर पर (किसी विशेष राज्य के डोमिसाइल होने का लाभ उठाए बिना) ऐसे प्रवेश के लिए प्रतिस्पर्धा की है या चंडीगढ़ के संघ शासित क्षेत्र के वास्तविक और वैध निवासियों/डोमिसाइल धारकों के रूप में ऐसे प्रवेश के लिए नामित होने पर विचार करना चाहते हैं। जैसा कि पहले ही संकेत दिया गया है, याचिकाकर्ता ने डोमिसाइल प्रमाणपत्र (अनुबंध P. 6) के आधार पर पंजाब में किसी एक मेडिकल कॉलेज में प्रवेश का मौका लिया है। अनुबंध P. 7 की उपरोक्त आपत्तिजनक शर्त से कोई भी अनुचित वर्गीकरण नहीं होता है और इस प्रकार यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला नहीं हो सकता है। उच्चतम न्यायालय के लॉर्डशिप ने **कुमारी चित्रा घोष और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य,**[1] मामले में दिए गए निर्णय में कहा गया है कि "सरकार को यह अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता कि वह निर्णय करे कि प्रवेश किन स्रोतों से किया जाएगा।" यह मूलतः नीतिगत प्रश्न है और इसमें विशेष क्षेत्रों के निवासियों और अन्य श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए चिकित्सा शिक्षा की सुविधाओं की आवश्यकताओं का एक

[1] AIR 1970 SC 35

समग्र आकलन और सर्वेक्षण पर निर्भर करता है। "यदि स्रोतों का उचित रूप से वर्गीकरण किया गया है, चाहे वह क्षेत्रीय, भौगोलिक या अन्य उचित आधार पर हो, तो न्यायालयों को वर्गीकरण की विधि और तरीके में हस्तक्षेप करना नहीं है"' यह भी प्रतिवादियों के पक्ष का समर्थन करता है।

4. हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक निर्णय, **डॉ. वाई. शांता बनाम चिकित्सा कॉलेज में स्नातकोत्तर डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए चयन समिति और अन्य**[2] पर भरोसा किया, जिसमें एक उम्मीदवार को विशेष पाठ्यक्रम में प्रवेश से इनकार करने को भेदभावपूर्ण और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना गया था, क्योंकि वह पहले ही एक अन्य पाठ्यक्रम में प्रवेश पा चुकी थी। उस मामले के तथ्य इस मामले के तथ्यों से संबंधित नहीं हैं।

5. उपर्युक्त कारणों को रिकॉर्ड किए जाने के आधार पर, मैं इस याचिका में कोई योग्यता नहीं देखता और इसे खारिज कर देता हूं, लेकिन लागत के आदेश के बिना।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

निशा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
रेवाड़ी, हरियाणा

[2] AIR 1970 S.C.35.